Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

## न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

**अपील डिक्री / टी.ए. / 5854 / 2004 / जयपुर**

1. जगदीश
2. रामू
   पुत्रान स्व. प्रभात जाति मीणा निवासी ग्राम घाट जमुवा
   तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर

....अपीलांट्स

बनाम

1. श्योनाथ पुत्र भौरीया
2. श्योनारायण पुत्र स्व. कालू
3. मु0 लादूी बेवा स्व. कालू
   जाति मीणा निवासी ग्राम घाट जमुवा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर
4. श्रीमती ग्यारसी पुत्री स्व. कालू धर्मपत्नी श्री गोपाल जाति मीणा
   निवासी ग्राम खरगडा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर
5. श्रीमती कैलाशी पुत्री स्व. कालू धर्मपत्नी अनुराग जाति मीणा
   निवासी ग्राम लालवास तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर
6. श्रीमती हीरा पुत्री स्व. कालू धर्मपत्नी मोतलाल जाति मीणा
   निवासी ग्राम लालवास तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर
7. मु0 तीजा पुत्री स्व. कालू बेवा शंकर जाति मीणा निवासी ग्राम चौकडी
   तहसील व जिला दौसा

.....रेस्पोडेन्ट्स

**खण्ड पीठ**
**श्री मोडूदान देथा, सदस्य**
**श्री रवि प्रकाश शर्मा, सदस्य**

उपस्थिति–
श्री हेमंत सौगानी, अभिभाषक अपीलांट
श्री जी0बाढदार, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

**दिनांक 08.3.2018**

## निर्णय

यह द्वितीय अपील राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 258 / 2001 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10–9–2004 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट/वादी पक्ष की ओर से रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी पक्ष के विरूद्ध वाद प्रस्तुत किया, जिसे विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर मु0 जयपुर ने निर्णय व डिक्री दिनांक 11–9–2001 द्वारा खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध अपीलांट/वादी पक्ष ने राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 10–9–2004 द्वारा अपीलांट पक्ष की अपील को खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा यह द्वितीय अपील इस न्यायालय के समक्ष पेश की गई है।

3. दोनों पक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। रेस्पोडेन्ट पक्ष की ओर से प्रस्तुत सम्मानित न्यायिक विनिश्चय 2012 (1) DNJ (Raj.) 112, 2013 (1) RRT 620, 1977 RRD 637, 2003 (2) RRT 739 का आदरपूर्वक अवलोकन किया गया। तत्पश्चात् हमारा निष्कर्ष निम्न प्रकार से है।

4. वादी/अपीलांट पक्ष की ओर से इस मामले में जो वाद पत्र प्रस्तुत किया गया था, उस वाद पत्र में वादी/अपीलांट का मुख्य रूप से यह कथन रहा है कि वादी का पिता गोविन्दा घाट जमुवा में विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार था। वादी के पिता ने संवत् 2005 में 400/–रूपए में भूमि को भौरया पुत्र रामबक्ष मीणा, जो कि प्रतिवादी संख्या 1 का पिता है उसको रहन बिल कब्ज रखा था किन्तु बाद में वादी पक्ष को यह ज्ञात हुआ कि दिनांक 15–12–70 को विवादित भूमि का एक रजिस्टर्ड बेचान पत्र प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने नाम से फर्जी तरीके से करवा लिया। वादी पक्ष का यह उल्लेखित करना है कि जो रजिस्टर्ड बेचान पत्र है, वो फर्जी है उस पर गोविन्दा की अंगूठा निशानी नहीं है और धोखाधडी करके विक्रय पत्र करवाया गया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि वादी पक्ष रजिस्टर्ड बेचान पत्र दिनांक 15–12–70 को फर्जी होना बताकर आ रहा है, धोखाधडी से करवाना उल्लेखित कर रहा है एवं गोविन्दा की अंगूठा निशानी नहीं होना बता रहा है। किन्तु ये सभी जो बातें हैं, वो दीवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार की प्रतीत होती हैं और इन सब बातों के आधार पर यदि वादी पक्ष रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 15–12–70 पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाता है या उसे चुनौती देता है तो इस संबंध में संबंधित बेचान पत्र को शून्य करणीय घोषित करवाने के लिए वादी को सिविल कोर्ट में चाराजोही करनी चाहिए। विवादित जो बेचान पत्र है चूंकि गोविन्दा भूमि का खातेदार काश्तकार था उसकी ओर से निष्पादित करना बताया गया है, बेचान पत्र रजिस्टर्ड है तथा बेचान पत्र गोविन्दा

के जीवनकाल में किया गया है अतः ऐसे बेचान पत्र को ऐब इनिशियो वोइड नहीं माना जा सकता। यह दस्तावेज शून्यकरणीय हो सकता है लेकिन उसके लिए सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार बनता है।

5. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वाद पत्र में उल्लेखित तथ्यों के अनुसार गोविन्दा वाद पत्र प्रस्तुत करने के लगभग 10 माह पूर्व फोत होना बताया गया है विवादित रजिस्टर्ड बेचान पत्र दिनांक 15–12–70 को होना बताया गया है। यह स्थिति यह जाहिर करती है कि रजिस्टर्ड बेचान पत्र के बाद में गोविन्दा लगभगत 8 साल तक जिन्दा रहा किन्तु गोविन्दा की ओर से इस रजिस्टर्ड बेचान पत्र के बाबत कोई कार्यवाही प्रतिवादी पक्ष के विरूद्ध संस्थित की गई हो, ऐसा प्रकट नहीं किया गया है। संवत् 2005 में गोविन्दा के द्वारा विवादित आराजी रहन बिल कब्ज रखी गई हो, इससे संबंधित कोई पर्याप्त सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया है, ना ही इस बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य है।

6. जो वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है, वह गोविन्दा की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। विवादित आराजी के संबंध में यदि कोई अधिकार माने भी जायें तो वो गोविन्दा की मृत्यु के साथ ही खत्म हो जाते हैं। वादीगण, जो कि गोविन्दा के पुत्र हैं वो विवादित आराजी के कभी खातेदार रहे हों, ऐसा प्रकट नहीं होता है। दावा दायरी के वक्त वादीगण विवादित भूमि के खातेदार नहीं थे। रजिस्टर्ड बेचान पत्र में उल्लेखित तथ्यों के अनुसार उनके कब्जे में भी विवादित आराजी नहीं मानी जा सकती। तो ऐसे में वादीगण को वाद पत्र दायर करने के बाबत एक प्रश्न चिन्ह की स्थिति है।

7. अपीलांट पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की यह दलील रही है कि विचारण न्यायालय ने तनकीवार निर्णय नहीं किया है अतः निर्णय निरस्त होने योग्य है। किन्तु इस संबंध में हमारा यह मानना है कि विचारण न्यायालय ने सबस्टेन्स ऑफ द केस को टच किया है। चूंकि विचारण न्यायालय के द्वारा विवाद के महत्वपूर्ण बिन्दु को टच करते हुए निर्णय पारित किया गया है अतः ऐसी स्थिति में जबकि वाद पत्र सन 1985 में प्रस्तुत किया गया था, अब लगभग 32 साल पश्चात उसे मात्र इस आधार पर कि विचारण न्यायालय ने तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया, उन्हें रिमाण्ड करने या उन्हें उसी स्थिति में लौटाये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। विचारण न्यायालय ने विवाद के महत्वपूर्ण बिन्दु को टच करते हुए अपना निष्कर्ष दिया है अतः विधि की मंशा पूर्ण हो जाती है।

8. यह भी उल्लेखनीय है कि इस मामले में विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर मु0 जयपुर एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के जो निर्णय हैं, वो समवर्ती निष्कर्ष हैं।

9. जिस प्रकार के तथ्य प्रकट किये गये हैं उन्हें दृष्टिगत रखते हुए एवं ऊपर उल्लेखित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए हमारा यह मानना है कि इस मामले में विचारण न्यायालय एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय के द्वारा पारित जो निर्णय हैं, वो सही हैं उनमें किसी प्रकार की कोई अवैधता प्रतीत नहीं होती है। लिहाजा अपीलांट की ओर से प्रस्तुत की गई जो अपील है, वह खारिज किये जाने योग्य है।

10. परिणामस्वरूप अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय व डिक्री बहाल रखे जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(रवि प्रकाश शर्मा)**
**सदस्य**

**( मोडूदान देथा )**
**सदस्य**